कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 10.11.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रशासनिक भवन, कु0वि0वि0 में आयोजित की गई, जिसमे उपस्थिति निम्नवत रही–

1. निदेशक, डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल।
2. संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, कु0वि0वि0, नैनीताल।
3. संकायाध्यक्ष, कला, कु0वि0वि0, नैनीताल।
4. संकायाध्यक्ष, विज्ञान, कु0वि0वि0, नैनीताल।
5. समन्वयक, शिक्षा, कु0वि0वि0, नैनीताल।
6. विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग कु0वि0वि0 नैनीताल।
7. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर।
8. प्राचार्य/परीक्षा प्रभारी हे0न0ब0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा।
9. प्राचार्य, स0भ0सिं0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर।
10. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग।
11. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट।
12. प्राचाय/परीक्षा प्रभारी, राजकीय महाविद्यालय, बाजपुर।
13. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हल्दूचौड़।
14. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज।
15. प्राचार्य/परीक्षा प्रभारी, राजकीय महाविद्यालय, मालधनचौड़।
16. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पटलोट।
17. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, दोषापानी।
18. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, जसपुर।
19. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नानकमत्ता।
20. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गदरपुर।
21. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी सिटी किशानपुर गौलापार।
22. प्राचार्य/परीक्षा प्रभारी, राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़।
23. उप परीक्षा नियंत्रक, कु0वि0वि0 नैनीताल।
24. सहायक परीक्षा नियंत्रक, कु0वि0वि0 नैनीताल।
25. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय कु0वि0वि0 नैनीताल।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा परीक्षा समिति के समस्त सम्मानित सदस्यो का स्वागत किया गया तथा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव महोदय द्वारा बैठक का ऐजेन्डा बिन्दुवार समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक का बिन्दुवार निर्णय निम्नवत है–

मद सं0 01	दिनांक 29–10–2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित संकायाध्यक्षों की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिनाक 29–10–2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित संकायाध्यक्षों की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
मद सं0 02	दिनांक 31–10–2022 को वोकेशनल पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के सम्बन्ध में संकायाध्यक्षों की बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 31–10–2022 को वोकेशनल पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के सम्बन्ध में संकायाध्यक्षों की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया एवं विभिन्न कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों एवं परिसरों की वोकेशनल कोर्स की सूची का अनुमोदन किया गया। साथ ही कतिपय महाविद्यालयों/संस्थानों जिनके द्वारा अद्यतन विश्वविद्यालय को कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नही कराया गया है ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों को 14–11–2022 तक समस्त पाठ्यक्रयो का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
मद सं0 03	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक अन्तिम वर्ष/विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क के साथ उपाधि शुल्क लिये जाने पर विचार।
निर्णय	समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक अन्तिम वर्ष/विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क के साथ उपाधि शुल्क लिये जाने का अनुमोदन किया गया एवं परीक्षा आवेदन पत्र के साथ उपाधि शुल्क लिये जाने को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थान स्तर पर प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित–प्रसारित किये जाने हेतु दिशानिर्देश प्रदान किये गये।
मद सं0 04	वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की ट्रांसक्रिप्ट/अंकतालिका उनके सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों को प्रेषित की जाती है जिसे विद्यार्थी सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेते है उसी क्रम मे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मुद्रित उपाधियों को भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों को प्रेषित किये जाने पर विचार।
निर्णय	वर्तमान में विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मुद्रित उपाधियों को पूर्व की भाँति सम्बन्धित विद्यार्थी को केवल डाक के माध्यम से ही प्रेषित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।
मद सं0 05	कतिपय संस्थान/महाविद्यालयों में जिन पाठ्यक्रमों में 20 से कम विद्यार्थी हो ऐसे पाठ्यक्रमों को अविलम्ब बन्द किया जाना है ऐसे पाठ्यक्रम यदि संस्थान/महाविद्यालय स्तर पर संचालित किये जाते है तो उसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान उत्तरदायी होगे। परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
निर्णय	समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर पर 20 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 15 से कम विद्यार्थी प्रवेशित होने पर विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा। यदि उक्त से कम विद्यार्थियों को महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर प्रवेश देकर पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य का होगा। उक्त के अतिरिक्त स्नातक स्तर पर 20 एवं

<table>
<tr><td></td><td>स्नातकोत्तर स्तर पर 15 से कम प्रवेशित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों की सूची तैयार किये जाने हेतु विगत तीन वर्षो का डाटा संकलित कर ऐसे पाठ्यक्रमों को चिन्हित किये जाने पर भी समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।</td></tr>
<tr><td>मद सं0 06</td><td>कतिपय महाविद्यालय/संस्थानों के द्वारा वि0वि0 द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पोर्टल में आन्तरिक/प्रयोगात्मक मूल्यांकन के अंक अपलोड नहीं किये जाते है जिससे परीक्षाफल घोषित किये जाने में विश्वविद्यालय को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। संस्थानों/महाविद्यालयों को निर्धारित तिथि तक अंक प्रेषित किये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया जाता है परन्तु अंतिम तिथि तक अधिकांश महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सन्दर्भित अंक पोर्टल पर दर्ज नहीं किये जाते है। अतः ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों से प्रति विद्यार्थी विलम्ब शुल्क निर्धारित किये जाने पर विचार।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि <u>विश्वविद्यालय परीक्षाऐं प्रारम्भ होने से पूर्व</u> सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन के अंक वि0वि0 के पोर्टल पर अंक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सन्दर्भित अंक यथासमय पोर्टल पर दर्ज नहीं किये जाने पर परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान का होगा।</td></tr>
<tr><td>मद सं0 07</td><td>विद्यार्थी द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्रवेश के एक माह के भीतर महाविद्यालय/संस्थान में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। एक माह के अन्तर्गत प्रव्रजन प्रमाण पत्र जमा न किये जाने पर विलम्ब शुल्क या अन्य कार्यवाही किये जाने पर विचार।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित छात्र द्वारा अपने प्रव्रजन प्रमाण पत्र को प्रवेश के एक माह के भीतर महाविद्यालय/संस्थान में जमा किया जाना तथा महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सम्बन्धित प्रव्रजन प्रमाण पत्र को विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में यथासमय जमा न किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा एवं आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति भी प्रदान नहीं की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा।</td></tr>
<tr><td>मद सं0 08</td><td>विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक समस्त सम्बन्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अपने स्तर से विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन भरवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क रू0 500/– के साथ 10 दिनों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किये जाने पर विचार।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई। साथ ही उक्त सूचना को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित–प्रसारित किये जाने हेतु दिशानिर्देश प्रदान किये गये।</td></tr>
<tr><td>मद सं0 09</td><td>विद्यार्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के उपरान्त प्रिन्ट आउट तीन प्रतियों में लिया जायेगा क्रमशः 1– विद्यार्थी की प्रति 2– महाविद्यालय/संस्थान की प्रति 3– विश्वविद्यालय की प्रति। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थी के नोमिनल रोल के साथ परीक्षा आवेदन की प्रति को विश्वविद्यालय प्रेषित किये जाने पर विचार।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">समिति द्वारा मद संख्या 10 से 19 तक के सभी प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नवत उप समिति का गठन किया गया–
1. संकायाध्यक्ष– वाणिज्यः अध्यक्ष
2. संकायाध्यक्ष– कलाः सदस्य
3. संकायाध्यक्ष– विज्ञानः सदस्य
4. विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर नैनीतालः सदस्य
5. उप परीक्षा नियंत्रकः सदस्य
6. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी सीटी गौलापार, सदस्य
समिति द्वारा उक्त उप समिति को सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारणार्थ निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।</td></tr>
<tr><td>मद सं0 20</td><td>अन्य मद माननीय कुलपति जी की अनुमति से।</td></tr>
<tr><td colspan="2">माननीय कुलपति जी द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत उन महाविद्यालयों /संस्थानों जहॉं पर केवल एक ही संकाय है ऐसे विद्यार्थियों द्वारा माईनर इलेक्टिव विषय के चयन हेतु समाधान समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया।</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन संस्थानों/महाविद्यालयों में केवल एक ही संकाय है एवं विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत माइनर इलेक्टिव विषय किसी अन्य संकाय से लेना अनिवार्य है उन संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए एवं स्वयं पोर्टल अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान/पोर्टल के माध्यम से क्रैडिट पोइन्टस निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये जाय।</td></tr>
</table>

अन्त में उपस्थित सदस्यों का कुलसचिव महोदय द्वारा आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समिति के समस्त सदस्यों को।
2. उप परीक्षा नियंत्रक, कु0वि0वि0 नैनीताल।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोपनीय, परीक्षा एवं उपाधि अनुभाग।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय, परीक्षा एवं उपाधि अनुभाग।
5. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनर्थ।

कुलसचिव